न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 13/2026

कार्तिक नामा निवासी वार्ड सं. 6 मेन मार्केट नगरफोर्ट तहसील कार्यालय नगरफोर्ट जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1 Please provide a certified copy of the land conversion order no. LC/2023-24/169285 dated 21-02-2024 for the land situated at Nagarfort, with Khasra no. 2783/2778

2 Please inform whether any application for subdivision (division/bifurcation of land) has been submitted in respect of the above-mentioned land. If yes, kindly provide:

- Present status (pending / approved / rejected)
- Certified copy of the order passed, if any

3 If no subdivision application has been filed, kindly confirm the same.

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवलीं को पत्र क्रमांक 178 दिनांक 03.02.2026 व 312 दिनांक 19.02.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली ने पत्र क्रमांक 401 दिनांक 09.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पत्र क्रमांक 291 दिनांक 23.02.2026 से अपीलान्ट को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक